



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2009/ज्येष्ठ 11, 1931

No. 320]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2009/JYAISTHA 11, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2009

सा.का.नि. 377(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 की अनुसूची 4 में,—

- टिप्पण (1) का लोप किया जाएगा ;
- टिप्पण (2) और टिप्पण (3) को क्रमशः टिप्पण (1) और टिप्पण (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[फा. सं. 11011/1/2003-आईईएस]

राजन कुमार, निदेशक

टिप्पण : भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 648(अ), तारीख 10 सितंबर, 2008; अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 753(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.350(अ), तारीख 22 मई, 2009 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2009

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Third Amendment) Rules, 2009.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Economic Service Rules, 2008, in Schedule IV,—
 - (i) Note (1) shall be omitted;
 - (ii) Notes (2) and (3) shall be renumbered as Notes (1) and (2) respectively.

[F. No. 11011/1/2003-IES]
RAJAN KUMAR, Director

Note : The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, vide, notification number G.S.R. 435 (E), dated the 6th June, 2008 and subsequently amended, vide, notification number G.S.R. 648 (E), dated the 10th September, 2008, notification number G.S.R. 753 (E), dated the 24th October, 2008, and notification number G.S.R. 350 (E), dated the 22nd May, 2009.